

न्यायालय समाहर्ता, पूर्णिया ।

धारा 49 (जोC) के अन्तर्गत

विविधा वाद संख्या 10/2011

आ हे ए

सुन्दर उराँव बनाम बिहार सरकार

यह राजस्व विविधा वाद श्री सुन्दर उराँव से राज्य सरकार के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। उराँव अपना सबूत कार्तिक उराँव 05/10/2010-दिनांक था ना सर, पूर्णिया-पूर्विका में अपनी पुत्री का शादी करने हेतु गौजा हासदा, थाना नं0240 थाना नं014 और नं014 रकबा 1.39 डी0 जमीन म्हादालत परिवारों के पत्ने हेतु प्रस्ताव करने के लिए अर्पण हेतु लायक किया गया है ।

अंशलायाकारी, पूर्णिया न्यूज से प्रांतवेदन का पता चला है । अंशलायाकारी, पूर्णिया पूर्व ने अपने पत्रांक 1623 दिनांक 7.11.11 के द्वारा प्रांतवेदन समाहित किए हैं । प्रांतवेदन है कि :-

आपेक्षक का पास कुल जमीन का खोरा:-

मौजा	थाना सं०	खाता	खोरा	रकबा	प्रमाणित है
हंसदा	240	77	514, 521, 520, 522, 523, 524, 525, 526, 527	-1.71 $\frac{1}{4}$	77
		78	656	4.75 $\frac{1}{4}$	78
		244	591	2.48	244
		54	587	0.29 $\frac{3}{4}$	787
		05	14	1.39	581
		कुल		10.62 $\frac{3}{4}$	डी० में से 10.62 डी० का खोरा 4.96 डी०

बिग्री को जाने वाली जमीन

मौजा	थाना सं०	खाता	खोरा	रकबा	प्रमाणित है
हंसदा	240	05	14	1.39	581

आपेक्षक के पास बिग्री के पश्चात शेष जमीन का खोरा 4.96 डी० के हिसाब में है

मौजा	थाना सं०	खाता	खोरा	रकबा	प्रमाणित है
हंसदा	240	77	514 डी०	1.21	77

खंशर T	240	78	656	0.83	78
"	"	244	591	1.24	246
"	"	54	587	0.29	उबड़ों 787
			कुल-	3.57	

वर्तमान समय में प्रांतवैदिक जमीन आवेदक के प्रस्ताव कबला में प्रस्ताव दानों में आवेदक के दावा द्वारा उरांव एवं अन्य के साथ के दावा में प्रस्ताव अपनी पुत्री के शादी करने हेतु जमीन विक्री करना चाहते हैं। किन्तु जमीन प्रस्ताव त आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं।

अतएव अंचलाधिकारी, पूर्णियां पूर्व की अनुमति के दावा में आवेदक की आवश्यकता को देखते हुए मौजा हरिदास बाबा में प्रस्ताव नं05 खंशर नं014 रकबा 1.39 ही0 जमीन नहरवर्गिक प्रांतवैदिक जमीन को देखते उसके साथ विक्री करने की अनुमति दी जाती है।

अचारा,  
पूर्णा